

कार्यालय-जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म.प्र.)
नीलाम विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को इस नीलामी विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि जिला न्यायालय उज्जैन के आधिपत्य का शासकीय वाहन क्र. एम.पी. 02-ए-0550 तथा कुटुंब न्यायालय उज्जैन के आधिपत्य का शासकीय वाहन क्रमांक एम्बेसेडर कार एम.पी.02 6138 को (जहां है, जैसी स्थिति में है) नीलामी दिनांक 12.05.2018 को प्रातः 11.00 बजे नीलाम किया जाना है।

नीलामी किये जाने वाले वाहनों की सूची निम्नानुसार है-

क्रमांक	वाहन का प्रकार	वाहन क्रमांक	मॉडल वर्ष	निष्प्रयोजित राशि
1	2	3	4	5
1	एम्बेसेडर कार	एम.पी.02-ए-0550	2001	50,000 /-
2	एम्बेसेडर कार	एम.पी.02 6138	2002	72,000 /-

उक्त शासकीय वाहन एम्बेसेडर कार क्र. एम.पी. 02-ए-0550 का न्यूनतम अपलेखन मूल्य रुपये 50,000/- तथा कुटुंब न्यायालय उज्जैन के शासकीय वाहन क्रमांक एम्बेसेडर कार एम.पी.02 6138 का न्यूनतम अपलेखन मूल्य रुपये 72,000/- (शासकीय बोली) नियत है। उक्त नीलामी सम्मिलित होने हेतु माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन के नाम से देय राशि रुपये 5,000/- का बैंक ड्राफ्ट अमानत राशि के रूप में जमा कर, नीलामी में भाग लिया जा सकता है नीलामी संबंधी शेष नियम व शर्तों की जानकारी कार्यालयीन दिवस/समय में नजारत अनुभाग, जिला न्यायालय, उज्जैन से प्राप्त की जा सकती है एवं मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की अधिकाधिक वेबसाइट (www.mphighcourt.nic.in) पर भी देखी जा सकती है।


उपरोक्त एम्बेसेडर कार की नीलामी संबंधी कार्यवाही की शर्तें निम्नानुसार हैं:-

निविदा शर्तें:-

1. शासकीय वाहन एम्बेसेडर कार क्र. एम.पी. 02-ए-0550 का न्यूनतम अपलेखन मूल्य रुपये 50,000/- तथा कुटुंब न्यायालय उज्जैन के शासकीय वाहन क्रमांक एम्बेसेडर कार एम.पी.02 6138 का न्यूनतम अपलेखन मूल्य रुपये 72,000/- (शासकीय बोली) नियत है।
2. उपरोक्त अनुपयोगी/अपलेखित शासकीय वाहन एम्बेसेडर कार की नीलामी में भाग लेने/बोली लगाने हेतु अमानत राशि के रूप में रुपये 5,000/- का बैंक ड्राफ्ट माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन के नाम से देय हो, सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर, नीलामी में भाग लेने/बोली लगाने की पात्रता होगी।
3. अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट नीलामी की समाप्ति पर, असफल बोली लगाने वाले व्यक्ति/संस्था को वापस लौटाया जावेगा तथा सफल बोली लगाने वाले व्यक्ति/संस्था को उनके

द्वारा लगायी गयी बोली/स्वीकृत की गई पूरी राशि जमा करने के पश्चात् अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट लौटाया जावेगा।

4. सक्षम अधिकारी को किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार करने तथा नीलामी के आंशिक रूप से व पूर्ण रूप से रख लेने अथवा निरस्त करने तथा प्राप्त कम/अधिकतम बोली की राशि को स्वीकृति/ अस्वीकृति का सम्पूर्ण अधिकार सर्वथा वाहन नीलामी समिति कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय, उज्जैन को प्राप्त होगा।
5. नीलामी के संबंध में बोली या विवाद के संबंध में सक्षम अधिकारी का निर्णय अंतिम बोली लगाने वाले पर बंधनकारी होगा।
6. अधिकतम बोली की राशि की स्वीकृति, नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित होने के पश्चात् अनुपयोगी शासकीय वाहन को क्रेता को प्रदान किया जावेगा।
7. अनुपयोगी शासकीय वाहन को अधिकतम बोलीकर्ता को स्वीकृति आदेश प्राप्त होने के सात दिवस के अंदर बोली की सम्पूर्ण राशि जमाकर, वाहन को उठाना अनिवार्य होगा, अन्यथा अमानत राशि, शासन के पक्ष में राजसात की जावेगी।
8. संबंधित वाहन भौतिक निरीक्षण हेतु जिला न्यायालय परिसर, उज्जैन में उपलब्ध है इस हेतु जिला नाजिर उज्जैन से संपर्क करें।
9. बोलीकर्ताओं द्वारा नीलामी में उपस्थित होकर वाहन को क्रय करने हेतु बोली लगाने की स्थिति में, नीलामी संबंधी सम्पूर्ण शर्तें स्वीकार कर ली गयी है, ऐसा माना जावेगा।
10. अनुपयोगी शासकीय वाहन को क्रय करने के पश्चात् क्रेता को उक्त वाहन को स्वयं के व्यय पर यथास्थिति में जिला न्यायालय, उज्जैन से अपने आधिपत्य में लेकर जाना होगा।
11. अनुपयोगी शासकीय वाहन विक्रय के पश्चात् कार्यालय द्वारा आवश्यक प्रमाण-पत्र जारी करने पर, उक्त शासकीय वाहन का नियमानुसार शासकीय पंजीयन विलोपित करने एवं क्रेता के नाम से रजिस्ट्रेशन एवं बीमा कराये जाने की सम्पूर्ण जवाबदारी क्रेता की होगी।
12. वाहन क्रमांक, चैसिस नंबर, इंजन नंबर, निविदाकार नीलामी स्थान पर ही मिलान कर लेवे। इस संबंध में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति क्रय संबंधी कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत मान्य नहीं की जावेगी।
13. उपरोक्त नियमों की शर्तों का शिथिलीकरण स्थापना पर गठित वाहन नीलामी समिति के पास सुरक्षित रहेगा।


अध्यक्ष
वाहन नीलामी समिति,
वास्ते/कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन, म.प्र.
